6546
15.7.17

प्रति हस्ताक्षरित 13
19 JUL 2017
प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा
जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – महेन्द्र कुमार दवे

प्रकरण संख्या 33/2017 दांडिक पुनरीक्षण याचिका

1. श्री प्रवीण कुमार पिता श्री गुलाबचन्द्र सोनकर जाति खटीक उम्र 30 वर्ष,
2. श्री नवीन सोनकर पिता श्री गुलाबचन्द्र सोनकर जाति खटीक उम्र 39 वर्ष, निवासीगण-223, न्यू मिनाल, रेजीडेंसी जे.के.रोड भोपाल (एम.पी.)

–पुनरीक्षणकर्ता–अभियुक्तगण

विरूद्ध

1. राजस्थान राज्य द्वारा लोक अभियोजक, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भूमिका पत्नी प्रवीण सोनकर उम्र 25 वर्ष म.नं.72, नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स हिरण मगरी सेक्टर 04, उदयपुर (राज.)

–विपक्षीगण

दांडिक पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध चार्ज आदेश दिनांक 15-02-2017 पारित द्वारा अति.न्यायिक मजि., क्रम संख्या-2, उदयपुर, प्रकरण संख्या 304/16 रे.फौ. सरकार बनाम प्रवीण सोनकर वगैरह

उपस्थित–
1. श्री आर.एस.राव योग्य अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता –अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री दिनेश गुप्ता, योग्य अपर लोक अभियोजक–राज्य प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री कंचन सिंह हिरण, योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 (परिवादिया) की ओर से।

आदेश दिनांक 13-07-2017

यह पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता प्रवीण कुमार सोनकर एवं नवीन सोनकर (मुलजिमान) ने योग्य अतिरिक्त न्यायिक मजि., क्रम संख्या-2, उदयपुर द्वारा फौजदारी प्रकरण सं.-304/16 (एफआईआर सं. 111/15) सरकार बनाम प्रवीण सोनकर वगैरह में पारित चार्ज आदेश दिनांक 15.02.2017 से नाराज होकर माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसके द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मुलजिम प्रवीण कुमार सोनकर को धारा 498ए एवं 406 भा.द.सं. में तथा नवीन कुमार सोनकर को धारा 498ए, 354 भा.द.सं. में आरोप विरचित कर सुनाये। माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर के आदेश से यह याचिका इस न्यायालय को विधिवत सुनवाई हेतु अन्तरित होकर प्राप्त हुई जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.04.2017 को दर्ज रजिस्टर की गई।

पुनरीक्षणकर्ता ने याचिका प्रस्तुत कर कथन किया कि परिवादिया/प्रत्यर्थी सं.2 ने प्रवीण कुमार सोनकर के विरूद्ध दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित कर स्त्रीधन हड़पने का आरोप लगाया तथा नवीन के बारे

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
न्यायालय, उदयपुर

न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

में दहेज के लिये क्रूरता व लज्जा भंग का आरोप लगाया, जबकि मुलजिमान द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 4,00,000/–रूपये की राशि परिवादिया को अदा कर दी गई है। प्रवीण कुमार सोनकर भारतीय सेना में मेजर के पद पर कार्यरत है तथा नवीन सोनकर सब–मरीन इंजीनियर होने के कारण अक्सर बाहर रहता है। दिनांक 15.06.2015 को निगरानीकर्ता प्रवीण कुमार ने भोपाल के कुटुम्ब न्यायालय में तलाक का प्रार्थना पत्र पेश किया, उसके करीब एक माह पश्चात् परिवादिया ने महिला थाना, उदयपुर में यह झूठा परिवाद पेश किया तथा महिला थाना, उदयपुर द्वारा दिनांक 14.08.2015 को एफआईआर 111/15 धारा 498ए, 406 भा.द.सं. में दर्ज की गई है जिससे स्पष्ट है कि परिवादिया निगरानीकर्ता को झूठे मुकदमे में फंसाना चाहती है। लज्जा–भंग जैसी घटना की जानबूझकर दिनांक व समय अंकित नहीं किया है जबकि पत्रावली में सभी तर्को को दिनांक के साथ दर्शाया गया है। अतः योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चार्ज आदेश दिनांक 15.02.2017 को अपास्त कर निगरानीकर्तागण को धारा 498ए, 406, 354 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त घोषित किया जाए।

पुनरीक्षण याचिका पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा आक्षेपित आदेश व योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि निगरानीकर्ता प्रवीण कुमार का रेस्पोडेंट सं.2 भूमिका के साथ दिनांक 14.05.2013 को विवाह हुआ। निगरानीकर्ता ने दिनांक 15.06.2015 को भोपाल में तलाक का मुकदमा दायर किया, उसके पश्चात् रेस्पोडेंट सं.2 श्रीमती भूमिका ने महिला थाना, उदयपुर में दिनांक 13.07.15 को परिवाद पेश किया। परिवादिया के ससुराल से थाना 05 मिनट की दूरी पर है, परिवादिया दहेज व लज्जा भंग की रिपोर्ट तत्काल दर्ज करा सकती थी। दिनांक 14.08.15 को एफआईआर दर्ज हुई, जो धारा 498ए, 406 भा.द.सं. में दर्ज हुई लेकिन आरोपपत्र धारा 498ए, 406 एवं 354 भा.द.सं. में पेश हुआ। रेस्पोडेंट सं.2 श्रीमती भूमिका ने आर्मी के कमाण्डिंग ऑफिसर की जो शिकायत पेश की उसमें धारा 354 भा.द.सं. का उल्लेख नहीं है। वेलफेयर ऑफिसर को दिनांक 30.09.15 को जो शिकायत की उसमें भी धारा 354 भा.द.सं. का उल्लेख नहीं है। महिला आयोग में प्रस्तुत शिकायत में भी धारा 354 भा.द.सं. का उल्लेख नहीं है। श्रीमती भूमिका ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निर्देशित दो माह इन्ट्रोस्पेक्शन पीरियड की पालना नहीं की। एफआईआर में धारा 354 भा.द.सं. की घटना की

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
न्यायालय, उदयपुर
न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)
Scanned by CamScanner

दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख नहीं है। एफआईआर में नेपथलीन की गोली खाने का उल्लेख नहीं है। स्वयं परिवादिया भूमिका के धारा 161 सीआरपीसी के बयान परिवादिया के पिता एवं माता के धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में धारा 354 भा.द.सं. का उल्लेख नहीं है, केवल एफआईआर में धारा 354 भा.द.सं. का उल्लेख है। घरेलू हिंसा का परिवाद पेश किया है उसमें भी इस बाबत् कोई उल्लेख नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने जमानत आदेश में इसी तथ्य को रेखांकित किया गया है। एफआईआर में वर्णित धारा 354 भा.द.सं. के आरोप का किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त नवीन के विरूद्ध धारा 354 भा.द.सं. का जो आरोप विरचित किया है, उसमें भी समय, दिनांक व स्थान अंकित नहीं किया है जो कि धारा 212 सीआरपीसी के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है। निगरानीकर्ता नवीन सोनकर वर्ष में 08 माह नेवी में अपने परिवार से दूर रहता है। श्रीमती भूमिका अलग–अलग समय पर कुल मिलाकर 35 दिन ससुराल में रही। नवीन सोनकर शादीशुदा है, दो बच्चों का पिता है। नवीन सोनकर अपने माता–पिता, पत्नी व बच्चों के रहते हुए एफआईआर में वर्णित घटना नहीं कर सकता है। यह सामान्य अनुक्रम के परे हे। निगरानीकर्ता द्वारा कुल 8,00,000/–रूपये परिवादिया को दिये जा चुके है तथा सेना के नियमों के अनुसार 32,000/–रूपये मासिक भी परिवादिया को अदा कर रहा है। परिवादिया द्वारा कुल 06 व्यक्तियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गयी लेकिन आरोप पत्र मात्र दो व्यक्तियों के विरूद्ध पेश हुआ है, इससे स्पष्ट है कि परिवादिया बढा–चढाकर मामला बता रही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला बनना नहीं पाया जाता है अतः मुलजिमान के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है, उससे उन्मोचित किया जाए।

अपने तर्को के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

1991 (2) डब्ल्यूएलएन 577,

2006 डब्ल्यूएलसी (राज.) यू.सी. 227,

(2010) 7 एससीसी 667,

1993 (3) आरसीआर (क्रिमिनल) 728.

रेस्पोडेंट सं.2 के विद्वान अधिवक्ता की दलील है कि परिवादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नवीन के विरूद्ध विनिर्दिष्ट रूप से धारा 354 भा.द.सं. का आरोप लगाया है। धारा 161 सीआरपीसी में इसका उल्लेख नहीं होने के लिये

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
न्यायालय, उदयपुर
Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना चाहिए तथा वहां से खारिज होने पर रिविजन पेश करनी चाहिए लिहाजा यह प्रार्थना पत्र प्री–मेच्योर है। धारा 161 सीआरपीसी के आधार पर मुलजिमान को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है। परिवादिया ने अपनी रिपोर्ट में लज्जा–भंग का स्थान ससुराल में होना बताया है। दिनांक और समय न्यायालय में साक्ष्य के समय स्पष्ट करेगी तथा मुलजिमान को परिवादिया से जिरह करने का अवसर मिलेगा। परिवादिया व उसका परिवार पढ़ा–लिखा है। परिवादिया अच्छे परिवार की लड़की है, वह गलत आरोप क्यों लगायेगी? परिवादिया ने मात्र अपनी परिवारिक जिन्दगी को बचाने के लिये पूर्व में यह आरोप नहीं लगाये है। परिवादिया के भोलेपन का मुलजिमान ने फायदा उठाते हुये परिवादिया को बातों में बहलाकर चुपके–चुपके तलाक का मुकदमा दायर किया। आरोप की स्टेज पर न्यायालय को मात्र प्रथम दृष्ट्या केस ही देखना है, शेष बिन्दू साक्ष्य से तय होंगे। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् धारा 354 भा.द.सं. का आरोप बनना पाया है, लिहाजा इस स्टेज पर मुलजिम धारा 354 भा.द.सं. के आरोप से उन्मोचित होने का हकदार नहीं है तथा शेष आरोप मुलजिमान के विरूद्ध बनने पाये जाते है। अतः निगरानी याचिका खारिज की जाए। अपने तर्को के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं.2 ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

2013 (सप्ली.) क्रिमिनल लॉ रिर्पोटर (एससी) 185.

2014 (सप्ली.) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 583.

विद्वान अपर लोक अभियोजन ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश को विधि सम्मत एवं पुष्टि योग्य बताया है।

मैंने उभय पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आलौच्य आदेश का अवलोकन किया।

यह सुस्थापित विधि है कि आरोप विरचित करने के प्रकम पर आरोप के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य ही विचार में लेने योग्य होते है। बचाव पक्ष के ऐसे दस्तावेज जिनके लिये सबूत की आवश्यकता होती है या जो स्वतः ही साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, उन्हें इस प्रकम पर विचार में नहीं लिया जा सकता है, लिहाजा पुरीक्षण याचिका के साथ जो निगरानीकर्ता द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज पेश किये गये है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है, उन दस्तावेजों को यह न्यायालय विचार में नहीं ले सकता। आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य पर केन्द्रित रहते हुये हम यदि अवलोकन करें तो परिवादिया श्रीमती भूमिका ने प्रवीण कुमार सोनकर के विरूद्ध यह आरोप लगाया है कि प्रवीण कुमार ने दिनांक 22.12.2013 को उदयपुर में 5,00,000/–रूपये दहेज की मांग की एवं प्राप्त किये तथा विवाह

णित सत्य प्रतिलिपि
य प्रतिलिपिकार
न्यायालय, उदयपुर
न्यायाधीश
, उदयपुर (राज.)
Scanned by CamScanner

के समय 3,50,000/—रूपये दहेज की मांग की जो परिवादिया के पिता ने दो चैक के जरिये अदा की, तत्पश्चात् विवाह के पश्चात् परिवादिया के पति प्रवीण कुमार व जेठ नवीन कुमार सोनकर ने परिवादिया के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, परिवादिया के चरित्र पर लांछन लगाया, परिवादिया का स्त्रीधन हड़प लिया और देने से मना कर दिया। पीहर में भी परिवादिया के साथ मारपीट की गई। इस प्रकार दहेज के लिये तंग व परेशान करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने, कूरता कारित करने का कथन किया है।

मेरे विनम्र मत में मुलजिम प्रवीण कुमार सोनकर के विरूद्ध धारा 498ए एवं 406 भा.द.सं. एवं नवीन सोनकर के विरूद्ध धारा 498ए भा.द.सं. में आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त सामग्री व आधार पत्रावली में उपलब्ध है। आरोप के प्रकम पर युक्तियुक्त संदेह से परे की श्रेणी की साक्ष्य की आवश्यकता नहींहोती है। एफआईआर तथा गवाहान के धारा 161 सीआरपीसी के बयान, फर्द बरामदगी दहेज का सामान, डिमाण्ड ड्राफ्ट के फोटोग्राफ आदि के अवलोकन से यह नहीं कहा जा सकता कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र संदेह के आधार पर उक्त आरोप विरचित किये है। निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने भी मुलजिम प्रवीण कुमार के विरूद्ध धारा 498ए व 406 भा.द.सं. के आरोप एवं नवीन कुमार के विरूद्ध धारा 498ए भा.द.सं. के आरोप बाबत् बहस में कोई विनिर्दिष्ट तर्क नहीं दिया है। निगरानी याचिका में इस बाबत् योग्य अधिवक्ता अभियुक्तगण ने जो तर्क रखे है, वह अभियुक्त के बचाव हो सकते है, जो वह विचारण के दौरान उठाने के लिये स्वतंत्र है, लिहाजा अभियुक्त प्रवीण कुमार सोनकर के विरूद्ध धारा 498ए व 406 भा.द.सं. का आरोप एवं नवीन कुमार सोनकर के विरूद्ध धारा 498ए भा.द.सं. का आरोप विरचित किया गया, उस बाबत् पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आरोप में किसी प्रकार की अवैधता, अनुचितता तथा अशुद्धता दृष्टिगोचर नहीं होती है, लिहाजा इस हद तक रिविजन अस्वीकार किये जाने योग्य है।

जहां तक नवीन सोनकर के विरूद्ध धारा 354 भा.द.सं. के आरोप का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के पैरा—5 में यह आरोप लगाया गया है कि—''एक रात जब परिवादिया अपने बेडरूम का दरवाजा बन्द करना भूल गई तब नवीन सोनकर परिवादिया के कमरे में आ गया एवं परिवादिया के बेड पर सो गया एवं परिवादिया की नींद की अवस्था में परिवादिया के प्राईवेट अंगों पर हाथ घुमाने लगा जब परिवादिया की नींद खुली तो नवीन सोनकर ने परिवादिया का मुंह दबा दिया एवं परिवादिया से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिस पर परिवादिया

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
न्यायालय, उदयपुर

न्यायाधीश
उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

चिल्लाई तो वह कमरे से बाहर निकल गया लेकिन धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में परिवादिया ने इस बाबत् विनिर्दिष्ट कथन नहीं किये है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जमानत आदेश दिनांक 08.03.2016 में इस बाबत् विनिर्दिष्ट विवेचन भी किया है। प्रार्थिया के पिता कैलाशचन्द, माता श्रीमती उषा व अन्य गवाहान के धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में भी धारा 354 भा.द.सं. बाबत् लेशमात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। एफआईआर में वर्णित धारा 354 भा.द.सं. के आरोप बाबत् पत्रावली में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में सार रूप से यह विधि प्रतिपादित हुई है कि आरोप की विरचना मात्र गम्भीर संदेहों के आधार पर नहीं की जा सकती है बल्कि आरोपपत्र के साथ ऐसी सामग्री होनी आवश्यक है, जिसके आधार पर अभियुक्त के द्वारा अपराध गठित करने की अवधारणा की जा सकें और यदि इस प्रकार की साक्ष्य नहीं है तो अभियुक्त उन्मोचन का पात्र होता है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त नवीन कुमार सोनकर के विरूद्ध धारा 354 भा.द.सं. का जो आरोप लगाया गया है, उसमें दिनांक व समय अंकित नहीं है। "किसी दिनांक व किसी समय" का अंकन किया गया है तो अभियुक्त "किसी दिनांक व किसी समय का" जवाब कैसे दे सकता है और न्यायालय "किसी दिनांक व किसी समय" के आधार पर अपना आदेश कैसे पारित कर सकता है। इस स्टेज पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1993 (3) आरसीआर (क्रिमिनल) 728 इस मामले में लागू होता है तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य इस प्रक्रम पर चस्पा नहीं होने से लागू नहीं होते है। अतः मुलजिम नवीन कुमार सोनकर के विरूद्ध धारा 354 भा.द.सं. का आरोप लगाये जाने की हद तक अभियुक्त नवीन कुमार सोनकर धारा 354 भा.द.सं. के आरोप से उन्मोचित किये जाने योग्य है, लिहाजा इस हद तक अभियुक्त नवीन सोनकर की रिविजन स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप मुलजिमान द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

सत्य प्रतिलिपि
...प्रतिलिपिकार
...न्यायालय, उदयपुर
...न्यायाधीश
..., उदयपुर (राज.)

– आदेश –

अतः पुनरीक्षणकर्ता/मुलजिम **प्रवीण कुमार सोनकर** की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

मुलजिम **नवीन कुमार सोनकर** सह–पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नवीन कुमार सोनकर के विरूद्ध योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 354 भा.द.सं. का आरोप विरचित करने का आदेश पारित किया

Scanned by CamScanner

है, उस हद तक आदेश अपास्त किया जाता है तथा अभियुक्त नवीन कुमार सोनकर को धारा 354 भा.द.सं. के आरोप से उन्मोचित किया जाता है। मुलजिम नवीन कुमार सोनकर के विरूद्ध धारा 498ए भा.द.सं. का आरोप लगाया गया है, उस हद तक रिविजन खारिज की जाती है तथा धारा 498ए भा.द.सं. के आरोप को यथावत् रखा जाता है।

(महेन्द्र कुमार दवे)
अपर सेशन न्यायाधीश,संख्या–2, उदयपुर

आदेश आज दिनांक 13–07–2017 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार दवे)
अपर सेशन न्यायाधीश,संख्या–2, उदयपुर

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

Scanned by CamScanner